# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## (पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

**अपील संख्या 22/2018** **दायरा दिनांक : 05.02.2018**

**उनवान**

श्री हिम्मत सिंह सिंघवी आत्मज स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल जी जैन, जाति महाजन, निवासी वार्ड नम्बर 8, छबड़ा, जिला बारां

.... अपीलांट

**बनाम**

1— डॉ0 मनोहर सिंह सिंघवी, जाति महाजन, निवासी वार्ड नम्बर 8, छबड़ा, जिला बारां हाल निवासी कोटा 32 तलवण्डी कोटा मृतक जरिये कायम मुकामान :—

2— प्रेमलता (मृतक) बेवा मृतक पत्नी डॉ0 मनोहर सिंह सिंघवी, जाति महाजन, निवासी वार्ड नम्बर 8, छबड़ा, जिला बारां हाल निवासी कोटा 32 तलवण्डी कोटा

1/1— पुनित पुत्र डॉ0 मनोहर सिंह सिंघवी (ओसवाल), जाति महाजन, निवासी वार्ड नम्बर 8, छबड़ा, जिला बारां हाल निवासी कोटा 32 तलवण्डी कोटा

1/2— पूजा पुत्री डॉ0 मनोहर सिंह सिंघवी (ओसवाल), जाति महाजन, निवासी वार्ड नम्बर 8, छबड़ा, जिला बारां हाल निवासी कोटा 32 तलवण्डी कोटा

3— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री दीनानाथ गालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री एन के गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

**निर्णय** **दिनांक : 13.02.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के प्रकरण संख्या – 330/2004 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रतिवादी रेस्पोडेंट के राजस्व रेकार्ड में ग्राम सोलतपुरा, तहसील छबड़ा, जिला बारां की आराजी खसरा नम्बर 12 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 311 रकबा 19 बीघा कुल 28 बीघा 15 बिस्वा स्थित है । अपीलांट वादी का वादग्रस्त आराजी पर 32 वर्षों से लगातार खुला व बिना किसी रूकावट के कब्जा काश्त चला आ रहा है । रेस्पोडेंट ने अपीलांट के खिलाफ एक सिविल वाद न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम 4 कोटा में पेश किया जिसका निर्णय दिनांक 16.10.2004 को रेस्पोडेंट के खिलाफ हो गया । सिविल मुकदमें में रेस्पोडेंट ने उक्त वादग्रस्त आराजी पर अपीलां का कब्जा माना है । रेस्पोडेंट वादग्रस्त आराजी को जबरन रहन बैय करने पर आमादा है और जबरन खिलाफ कानून अपीलांट को ताकत के बल पर बेदखल करना चाहता है जिसका उसको कोई अधिकार नहीं है । अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर 32 वर्षों से लगातार कब्जा काश्त है और अपीलांट कब्जा मुखालफाने के आधार पर टीनेन्ट हो गया है । रेस्पोडेंट का अपीलांट को कानूनन बेदखल करने का अधिकार भी समाप्त हो गया है । अपीलांट ने राजस्व अधिकारियों व तहसीलदार छबडा से कई बार निवेदन किया किन्तु अपीलांट के पक्ष में कोई कार्यवाही नहीं की दिनांक 30.11.2004 को एक नोटिस धारा 80 सी पी सी का राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की, इस कारण दावा पेश किया, अपीलांट ने वाद पेश कर इस आशय की डिक्री चाही की वाद में वर्णित आराजी ग्राम सोलतपुरा, तहसील छबड़ा, जिला बारां की आराजी खसरा नम्बर 12 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 311

रकबा 19 बीघा कुल 28 बीघा 15 बिस्वा का टीनेन्ट घोषित किया जाकर अपीलांट के खाते बांधी जावे, रेस्पोडेंट का रेाजस्व रेकार्ड से नाम हटाया जाकर टीनेन्सी समाप्त की जावे । अपीलांट के पक्ष में रेस्पोडेंट के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे । अपीलांट को बेदखल नहीं करें, रेस्पोडेंट जबरन कब्जा नहीं करें और ना ही उसके प्रतिनिधि ऐसा कृत्य करें, तथा वादग्रस्त आराजी को कहीं पर भी रहन, बैय, हिब्बा आदि नहीं करें । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपीलांट के विरूद्ध तय की गई है वह पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने जो वादी का वाद खारिज किया है वह फैसला कतई सही नहीं किया गया है । वादी अपीलांट ने अपनी साक्ष्य में यह साबित कर दिया था कि उपरोक्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा है तााि अपीलांट का कब्जा सनफ 1972 से है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय में आदेश को मनमाने तौर पर अपीलांट के विरूद्ध तय करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट वादी का वाद पत्र में वर्णित आराजी वर्ष 1972 से बिना किसी रूकावट के कब्जे काश्त में है जिसका ज्ञान रेस्पोडेंट को भली भांति है । रेस्पोडेंट ने कभी भी वादग्रस्त आराजी पर काश्त नहीं किया तथा अपीलांट का कब्जा मुखालफाना हो गया है । रेस्पोडेंट के खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये हैं इस बिन्दू को अधीनस्थ न्यायालय ने महत्वपूर्ण बिन्दू को नहीं मानकर त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज करने में भारी भूल की है पूर्व न्याय निर्णय जो पत्रावली पर पेश हुए हैं उन दस्तावेजों को अनदेखा कर भारी भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय ने वाद में 8 तनकीयात कायम की गई है, प्रतिवादीगण के द्वारा जो स्थायी निषेधाज्ञा व काउंटर क्लेम चाहा गया था उस पर भी कोई निर्णय नहीं किया गया । बिना बिन्दु के वाद खारिज कर दिया । वादी के द्वारा जो दस्तावेज पेश किय हैं उस पर तथ्यात्मक विश्लेषात्मक गौर नहीं कर त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.2018

अपास्त की जावे तथा ग्राम सोलतपुरा, तहसील छबड़ा, जिला बारां की आराजी खसरा नम्बर 12 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 311 रकबा 19 बीघा कुल 28 बीघा 15 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जावे और अपीलांट के पक्ष में रेस्पोडेंट के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि उक्त आराजी से बेदखल करने का प्रयास ना करें, ऐसा ना तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस एवं आर आर डी 14.10.2008 पेज 696 की नजीर पेश की, जो शामिल पत्रावली की गई । अभिभाषक रेस्पोडेंट ने आर आर टी 2019 (2) पेज 831, आर आर टी 2018–19 सप्लीमेंट्री पेज 316, आर आर डी 2015 (2) पेज 868, आर आर डी 1975 पेज 17, आर आर डी 1988 पेज 470, आर एल आर 1985 पेज 1086, आर आर डी 1990 पेज 663 की नजीरें पेश की जो शामिल पत्रावली की गई ।

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश वाद में साक्ष्य के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना चाहिए था, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है । अतः हम प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण

में तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.05.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा